1357/m 7491 3/4

द्वारा ईमेल/फैक्स।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

टावर 1/2, चतुर्थ तल, पुलिस मुख्यालय, शहीद पथ, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226002

संख्या: पाँच-470(वरि0 पदो0)2022 दिनांक: मार्च 31, 2023

आदेश NR-964

उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली-2015 यथा संशोधित में किये गये प्रावधानों के अनुसार उप निरीक्षक नागरिक पुलिस को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर प्राधिकृत बोर्ड द्वारा पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने एवं पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किये जाने के फलस्वरूप निम्नलिखित उप निरीक्षक नागरिक पुलिस को उनके वर्तमान नियुक्ति जनपद/इकाई पर ही कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है, **एवं यह आदेश दिनांक: 01-04-2023 से प्रभावी होगा।**

क्र0 सं0	पीएनओ सं0	कार्मिक का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	नियुक्ति जनपद/इकाई	उपयुक्त का चयन वर्ष
1	972150778	सतेन्द्र सिंह	श्री हुकुम सिंह	17.07.76	मुजफ्फरनगर	उपयुक्त 2022
2	902340105	बृजेश बहादुर सिंह	बरम बहादुर सिंह	10.12.70	झाँसी	उपयुक्त 2022
3	980680070	उमेश चन्द्र	लंकुश सिंह	31.07.78	फिरोजाबाद	उपयुक्त 2022
4	960600760	सत्येन्द्र कुमार राय	श्री रामसूरत राय	01.03.1977	गाजीपुर	उपयुक्त 2022
5	932030827	विनोद कुमार मिश्र	श्री रामदेव मिश्र	01.01.74	कमिश्नरेट वाराणसी	उपयुक्त 2022
6	952520276	राजबहादुर	श्री बाबूलाल	23.06.1972	रेलवे लखनऊ	उपयुक्त 2022
7	972460680	श्री प्रमोद कुमार	स्व0 राम लाल	05.08.1976	फतेहपुर	उपयुक्त 2022
8	932650188	बौवी कुमार शर्मा	स्व0 यज्ञदत्त शर्मा	07.12.74	मथुरा	उपयुक्त 2022
9	942590241	शिवगोपाल	श्री असर्फी लाल	15.03.74	हरदोई	उपयुक्त 2022
10	940700031	विजय कुमार कुशवाहा	मुन्शीलाल कुशवाहा	02-12-1974	बांदा	उपयुक्त 2022
11	982140190	चन्द्रसैन	श्री लीलाधर सैनी	15.08.1978	सहारनपुर	उपयुक्त 2022
12	952920177	बृजेश कुमार तिवारी	श्री विहारी तिवारी	01.11.1974	कमिश्नरेट लखनऊ	उपयुक्त 2022
13	982511277	छत्रपाल सिंह	विजयपाल सिंह	05.11.78	आगरा	उपयुक्त 2022
14	930720346	श्याम शंकर पाण्डेय	श्री राम मूर्ति पाण्डेय	14-08-1974	मऊ	उपयुक्त 2022
15	982690174	चन्द्रपति त्रिपाठी	श्री विद्यावाचस्पति त्रिपाठी	01.02.1979	कमिश्नरेट लखनऊ	उपयुक्त 2022

I/c Website

SP/AD 01/04/23

Scanned with OKEN Scanner

16	960770845	दिग्विजय	भूरा प्रसाद	02-03-1976	फतेहगढ़	उपयुक्त 2022
17	972190105	अखिलेश कुमार	श्री अमरदेव प्रसाद	26-04-1977	आजमगढ	उपयुक्त 2022
18	982150814	रविन्द्र सिंह	श्री रणपाल सिंह	08-07-1978	मुरादाबाद	उपयुक्त 2022
19	982550353	विकान्त कुमार	स्व0 राजाराम	02.01.78	मथुरा	उपयुक्त 2022
20	982511352	अरविन्द कुमार निर्वाल	श्री सोहनवीर सिंह	02-10-1978	आगरा	उपयुक्त 2022

3- पदोन्नति प्राप्त उपनिरीक्षक अपने नियुक्ति स्थान जनपद पर कार्यभार ग्रहण करेगें तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेगें, जिसे सेवानियमावली के प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे बढ़ाया जा सकेगा। सफलता पूर्वक परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर सक्षम स्तर से इस हेतु आदेश निर्गत किये जायेगें। पदोन्नति पाये कर्मी की वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो ऐसे कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगें। पदोन्नति पाये कार्मिक की नियुक्ति/स्थानान्तरण के सम्बन्ध में अलग से आदेश निर्गत किये जायेगें।

4- पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित उपनिरीक्षक से संलग्न प्रारूप (क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या:13/21/89-का-1-1997 दिनांक: 28-05-1997 के खण्ड-2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियाँ सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरूद्ध विद्यमान न हों:-

(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है।

(ख) यदि कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप-पत्र जारी किया जा चुका है।

(ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

5- यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान नहीं है तो सम्बन्धित उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान पायी जाती है तो सम्बन्धित उपनिरीक्षक के पदोन्नति के आदेश का क्रियान्वयन न कराकर सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुये दिशा-निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

6- यदि सम्बन्धित उपनिरीक्षक द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई में सम्बन्धित उपनिरीक्षक द्वारा स्वघोषणा-पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित सम्बन्धित कर्मी को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

7- आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट http://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है ।

संलग्नक- प्रारूप (क)

31/3/23

(अमृता मिश्रा)
अपर पुलिस अधीक्षक, स्थापना
निमित्त-अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
2- पुलिस आयुक्त, आगरा, वाराणसी एवं लखनऊ।
3- अपर पुलिस महानिदेशक, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, लखनऊ, आगरा, वाराणसी कानपुर एवं प्रयागराज जोन प्रयागराज।
4- पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, आगरा, सहारनपुर, वाराणसी, लखनऊ, मुरादाबाद, देवीपाटन, मेरठ, चित्रकूट, आजमगढ, प्रयागराज, अयोध्या, एवं कानपुर उत्तर प्रदेश।
5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर, झॉसी, फिरोजाबाद, गाजीपुर, फतेहपुर, मथुरा, हरदोई, बॉदा, सहारनपुर, आगरा, मऊ, फतेहगढ, आजमगढ एवं मुरादाबाद
6- पुलिस अधीक्षक, रेलवे उ0प्र0 लखनऊ।
5- पुलिस अधीक्षक/सहायक निदेशक, उ0प्र0 पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र लखनऊ को इस अनुरोध के साथ की वे कृपया प्रश्नगत आदेश को उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करे।

संख्या तथा दिनांक वही।

मूलपर नही।

प्रतिलिपिः-अनुभाग अधिकारी, अनुभाग-4 स्थापना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Scanned with OKEN Scanner

प्रारूप—"क"

स्वघोषणा—पत्र

मैं,———————————————————(नाम/पदनाम व पीएनओ) पुत्र ——————————निवासी————————————थाना—————जनपद——————— वर्तमान में (जनपद/इकाई का नाम)——————————— नियुक्त हूँ तथा घोषित करता हूँ कि:—

(क) "मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों /कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली—1991 के नियम—14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही वर्तमान में निलम्बित हूँ।"

2— उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत करते हुये मेरे विरूद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

3— यह घोषणा—पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दवाब के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनॉक

यदि सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली—1991 के नियम—14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित है अथवा कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है अथवा निलम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण उसके द्वारा नीचे अंकित किया जायेगा:—

(1) वर्तमान में निलम्बित है तो उसका निलम्बन आदेश/दिनॉक तथा कारण ———

(2) मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली—1991 के नियम—14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई—————में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनॉक:————— को आरोप—पत्र दिया गया है।

(3) मेरे विरूद्ध मु0अ0सं0————— धारा—————थाना ————— जनपद—————में लम्बित है, जिसमें दिनॉक:—————को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी—————द्वारा आरोप—पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में—————स्तर पर चल रहा है।

हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनॉक

<u>प्रमाणित</u>

जनपद/इकाई के प्रभारी

नाम/पदनाम की मुहर

Scanned with OKEN Scanner